रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2016/वैशाख 12, 1938
No. 319]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2016/ VAISAKHA 12, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2016

सा.का.नि. 478(अ).- केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धाराओं 27, 41, 50, 109, 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजी जा सकेगी ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (..........संशोधन) नियम, 2016 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 125-ड. के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**125-च. यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति, एलर्ट बटन और क्लोज़डसर्किट टेलीविजन का उपबंध** – (1) परिवहन यानों के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन यथापरिभाषित सभी मोटरयानों में निम्न सारणी के अनुसार यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति, एलर्ट बटन और क्लोज़ड सर्किट टेलीविजन और निगरानी प्रणाली फिट की जाएगी :

सारणी

क्रम संख्या	परिवहन यान में बैठने की क्षमता	यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति	निगरानी प्रणाली पर आधारित क्लोज़डसर्किट टेलीविजन	आपात बटन
1	23 यात्री और अधिक (ड्राइवर को छोड़कर)	हां	हां	हां
2	23 यात्री से कम (ड्राइवर को छोड़कर)	हां	नहीं	हां

परंतु यानों के निम्नलिखित वर्ग को इस नियम से छूट प्राप्त होगी:

(i) दुपहिया;

(ii) मालवाहक; और

(iii) कोई परिवहन यान जिसके लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञा-पत्र (परमिट) अपेक्षित नहीं होता है:

परंतु यह और कि यान की अवस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति, एलर्ट बटन और निगरानी प्रणाली पर आधारित क्लोज़डसर्किट टेलीविजन के लिए विनिर्देश, परीक्षण और प्रमाणन अपेक्षाएं ऐसे मानकों के अनुसार होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए जाएं :

पंरतु यह और भी कि यान की अवसृथिति का पता लगाने वाली युक्ति, एलर्ट बटन और क्लोज़डसर्किट टेलीविजन निगरानी प्रणाली युक्तियां, यथास्थिति, विनिर्माता या उनके व्यौहारी या अलग-अलग प्रचालकों द्वारा ऐसे मानकों के अनुसार फिट किए जाएंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किए जाएं।

[सं. आरटी-11028/12/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. (अ), तारीख को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2016

G.S.R. 478(E).— The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 27, 41, 50, 109, 110 of theMotor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the Public.

2 Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3 Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi, within the period, specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (-----Amendment) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereafter referred as the said rules), after rule 125-E, the following rule shall be inserted namely.-

"**125-F. Provision of Vehicle Location Tracking Device, Alert Button and CCTV**.- (1) All motor vehicles used as transport vehicles, as defined under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) shall be equipped with or fitted with vehicle location tracking device, CCTV based surveillance system, and one or more emergency buttons as per the Table below:

TABLE

Sl.No.	Transport Vehicle Seating Capacity	Vehicle Location tracking Device	CCTV based surveillance system	Emergency Button
1	23 passengers and above (excluding Driver)	Yes	Yes	Yes
2	Less than 23 passengers (excluding Driver)	Yes	No	Yes

Provided that the following category of vehicles shall be exempted from this rule:

(i) two wheelers;
(ii) goods carriage; and
(iii) any transport vehicle that does not require permit under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

Provided further that the specifications, testing and certification requirements of the Vehicle Location Tracking Device, alert button and CCTV based surveillance system shall be in accordance with such standard as may be published by the Central Government by notification in the Official Gazette.

Provided also that the Vehicle Location Tracking Device, Alert Button and CCTV surveillance system devices shall be fitted by the manufacturer or their dealer or the respective operators, as the case may be, in accordance with such standard as may be published by the Central Government by notification in the Official Gazette.

[No.RT-11028/12/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number ____(E) dated __________.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.